

अभ्यर्थी के लिए निर्देश

1. अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की औपबन्धिक अनुमति उनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर दी जा रही है। अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे जिस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उसके लिए जारी की गयी विज्ञप्ति के अनुसार सभी सेवा- शर्तों को पूरा करते हैं अर्थात् उसके लिए अर्हता रखते हैं। किसी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय गलत तथ्य दिये जाने के कारण यदि उसका चयन बी.आर.पी./सी.आर.पी पद पर हो जाता है तो तथ्य के प्रकाश में आने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए नियमानुसार आवेदन कार्यवाही की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।
2. अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, समय एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण विभागीय वेबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in www.ssa.uk.gov.in एवं www.scert.uk.gov.in पर उपलब्ध है।
3. बी.आर.पी. एवं सी.आर.पी. चयन परीक्षा दिनांक 10 दिसम्बर 2014 को निम्नानुसार अलग-अलग पालियों में संचालित की जाएगी-
(अ) प्रथम पाली : बी.आर.पी. चयन परीक्षा, प्रातः 10:00 बजे से 12:00 तक।
(ब) द्वितीय पाली : सी.आर.पी. चयन परीक्षा, अपराह्न 01:30 बजे से 03:30 तक।
4. अभ्यर्थी आवेदन की तिथि को जिस जनपद में कार्यरत थे उन्हें उसी जनपद के लिए निर्धारित परीक्षा केन्द्र आबंटित किया गया है। परीक्षा केन्द्रों का विवरण निम्नवत है-

| क्र०सं० | जनपद का नाम | परीक्षा केन्द्र | क्र०सं० | जनपद का नाम | परीक्षा केन्द्र |
|---------|-------------|-----------------------|---------|-------------|---------------------------|
| 1 | चमोली | रा0इ०का0 गौचर | 8 | अल्मोड़ा | डायट अल्मोड़ा |
| 2 | देहरादून | डायट देहरादून | 9 | बागेश्वर | डायट बागेश्वर |
| 3 | हरिद्वार | डायट रूड़की | 10 | चम्पावत | डायट लोहाघाट |
| 4 | पौड़ी | रा0बा0इ०का0 पौड़ी | 11 | नैनीताल | डायट भीमताल |
| 5 | रूद्रप्रयाग | डायट रतूड़ा | 12 | पिथौरागढ़ | रा0इ०का0 पिथौरागढ़ |
| 6 | टिहरी | रा0प्र०इ०का0 बौराड़ी | 13 | ऊ०सि०नगर | ए०एन०झा रा0इ०का0 रूद्रपुर |
| 7 | उत्तरकाशी | रा0बा0इ०का0 उत्तरकाशी | | | |

5. अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रवेश पत्रों का वितरण दिनांक 8 दिसम्बर 2014 से उनके जनपद में बने परीक्षा केन्द्र से किया जाएगा।
6. अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर आधा घण्टा पूर्व पहुँच जाय तथा अपने अनुक्रमांक के आधार पर आवंटित निर्धारित कक्ष एवं सीट पर ही बैठें। परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में बैठने की अनुमति किसी भी दशा में नहीं दी जाएगी।
7. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों को मोबाइल, कैलकुलेटर, गणितीय एवं भौतिक टेबल, इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस, प्रिंटिंग/हस्तलिखित सामग्री आदि ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि परीक्षा कक्ष में इस प्रकार की सामग्री किसी अभ्यर्थी के पास मिलती है तो इसे अनुचित साधनों का प्रयोग मानते हुए नियमानुसार (उत्तराखण्ड बोर्ड परीक्षा के प्राविधानों के अनुसार) कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी।
8. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा किसी कक्ष निरीक्षक या परीक्षा कार्य में लगे किसी कर्म के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है या राजकीय कर्मियों हेतु निर्धारित सेवा शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध विभागीय सेवानियमावली के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
9. अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर-पत्रक (OMR Sheet) पर दिये गये निर्देशों के अनुसार ही उत्तर पत्रक पर आवेदन अंकना करेंगे। OMR Sheet पर प्रत्येक प्रविष्टि की अंकना नीली/काली पैन से स्पष्ट रूप में की जायेगी। त्रुटिपूर्ण अंकना/ओवर राइटिंग की दशा में कम्प्यूटर द्वारा OMR Sheet का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
10. लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर पर ऋणात्मक (1/4 अंक) अंक देय होंगे। प्रश्न पत्र के दो भाग हैं। प्रत्येक भाग में 75-75 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए चार संभावित उत्तर दिये गये हैं, जिसमें से एक सही है। ओ0एम0आर0 शीट में सही उत्तर वाले विकल्प के गोले को बॉल पैन से नीला/काला किया जाना है। एक से अधिक गोलों को नीला/काला करने पर उत्तर को गलत मानते हुए ऋणात्मक अंक देय होंगे।
माना किसी प्रश्न का उत्तर बी है, ऐसी स्थिति में सही उत्तर वाले गोले को नीला/काला करने का सही तरीका निम्नवत है-



11. परीक्षा अवधि में कक्ष निरीक्षक, केन्द्र व्यवस्थापक एवं परीक्षा कार्य में लगे अभिकर्मियों के निर्देशों का पालन करें।
12. परीक्षा कक्ष छोड़ने से पहले उत्तर-पत्रक (OMR Sheet) अनिवार्यतः कक्ष निरीक्षक को सौंप दें एवं उनकी अनुमति के बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ें। अभ्यर्थी उत्तर-पत्रक (OMR Sheet) की कार्बन प्रति एवं प्रश्न पुस्तिका को अपने साथ ले जा सकते हैं। ध्यान रहे कि कार्बन प्रति को पृथक करने में उत्तर-पत्रक क्षतिग्रस्त न हो तथा मूल उत्तर-पत्रक (OMR Sheet) कक्ष निरीक्षक को उपलब्ध कराया जाना है।
13. दृष्टि विकलांग अभ्यर्थियों को निर्धारित समय के अलावा परीक्षा में 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
14. प्रत्येक अभ्यर्थी का डाटा वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसमें अभ्युक्ति वाले कॉलम में त्रुटियों का भी उल्लेख है। यदि किसी अभ्यर्थी का डाटा त्रुटिपूर्ण अंकित हो तो वह अपनी आपत्ति (प्रमाण सहित) लिखित रूप में दिनांक 20.12.2014 तक अपर निदेश 1क, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, देहरादून- 248008 को पंजीकृत डाक से उपलब्ध करा सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों के नाम के आगे अभ्युक्ति वाले खाने में कोई टिप्पणी अंकित है तो उसका निराकरण वांछित प्रमाणपत्रों सहित दिनांक 20.12.2014 तक करते हुए एस0सी0ई0आर0टी0 को पंजीकृत डाक से उपलब्ध करा दें, समयान्तर्गत प्रमाणपत्र उपलब्ध न करा पाने की स्थिति में सम्बन्धित को उसका लाभ देय नहीं होगा।

अपर निदेशांक
एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड,
देहरादून।